उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–10
संख्याः–3182 /एक–10–2018–33(43)/2018
लखनऊः दिनांकः 20 सितम्बर, 2018

**कार्यालय–ज्ञाप**

उप कमाण्डेंट, 11वीं राष्ट्रीय आपदा मोचक बल (गृह मंत्रालय), वाराणसी का पत्र सं0–प्रशि0/1204/11 बटा0रा0मो0बल/2018/–8657, दिनांकः 10.09.2018 द्वारा इलाहाबाद में प्रस्तावित आगामी कुंभ में सिविल डिफेंस के 150 प्रशिक्षुओं को आपदा प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा एवं भीड़ आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किये जाने हेतु रु0 7,81,000/–लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

1. आपदा प्रबंधन योजनाओं का विकास।
2. सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा एवं एच0वी0आर0सी0 विशेषण।
3. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण।
4. समुह बिशिष्ट का संवेदीकरण एवं जागरूकता उत्पत्ति कार्यशाला।
5. उनके प्रशिक्षण केद्रों पर विद्यालय शिक्षकों की कार्यशालाएं।
6. कृषि क्षेत्र के जोखिम न्यूनीकरण एवं अन्य सेवायें।
7. स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त गॉव/शहर।
8. 'जलदान' अभियन।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के दृष्टिगत कुंभ में सिविल डिफेंस के 150 प्रशिक्षुओं को आपदा प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा एवं भीड़ आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण हेतु कुल रु0 7,50,000/–(रूपये सात लाख पचॉस हजार मात्र) की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि के कैपिसिटी बिल्डिंग मद में उपलब्ध धनराशि रु0 47.25 करोड़ में से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उप कमाण्डेंट, 11वीं राष्ट्रीय आपदा मोचक बल (गृह मंत्रालय), वाराणसी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये जाने वाले कार्य राहत आयुक्त संगठन/उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
2– स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त–पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
3– इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
4– समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2019 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2019 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
5– उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
6– समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमो की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराई जायेगी तथा प्रतिभागियों के नाम/पदनाम, जिला/मोबाइल नं0 आदि के साथ सम्पूर्ण विवरण शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।



Scanned by CamScanner

3– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ***"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–11–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय–42–अन्य व्यय"*** के नामे डाला जायेगा।

4– व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

राधे श्याम मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या– 3182 (1)/एक–10–2018, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– उप कमाण्डेंट, 11वीं राष्ट्रीय आपदा मोचक बल (गृह मंत्रालय), वाराणसी।
3– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
4– निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5/राजस्व अनुभाग–6/11
8– परियोजना निदेशक, राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एवं श्री टी0पी0 गुप्ता, परियोजना प्रबन्धक (राहत) का इस आशय से प्रेषित कि वे समय–समय पर निरीक्षण कर ट्रेनिंग सुचारू रूप से प्रचलित होने के संबंध में आख्या प्रस्तुत करेंगे।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी),
उप सचिव।

U.O. LETTER 2018//112

Scanned by CamScanner